# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## प्रेस–नोट

**एफ.7(28) परीक्षा 'क'/प्रधानाध्यापक/2017–18/608** **दिनांक 07.08.2019**

**प्रधानाध्यापक (मा.वि.) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत दिनांक 06.08.2019 से आयोजित की जा रही काउंसलिंग के सबंध में सूचित किया जाता है कि :–**

1. उक्त काउंसलिंग में शामिल होने वाले भूतपूर्व सैनिक वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सेना शिक्षा कोर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं, उनके अनुभव प्रमाण पत्र किसी विधालय में 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव की दृष्टि से पात्र होने की स्थिति में सैनिक कल्याण विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करा कर ही काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करें। इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा जारी पत्र दिनांक 06.08.2019 की प्रति आयोग की वेबसाइट पर भी जारी की गई है, जिसका संबंधित अभ्यर्थी अवलोकन कर सकते हैं।
2. काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के शैक्षणिक–प्रशैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों/जाति प्रमाण पत्र के अन्तर्गत स्वयं के नाम और पिता के नाम के सरनेम में अन्तर होने/नाम की वर्तनी संबंधी त्रुटि होनें की स्थिति में गजट नोटिफिकेशन/नामान्तर शपथ पत्र आवश्यक रूप से काउंसलिंग के समय साथ लावें।
3. अनुभव प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुरूप काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करें ।

**(के.के. शर्मा )**
**सचिव**

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/बी–3/प्र.अ. भर्ती–18/परिवेदना/19–20 दिनांक– 06.08.2019

सचिव
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
अजमेर।

विषय– प्रधानाध्यापक (मा.वि.) भर्ती परीक्षा–2018 में भूतपूर्व सैनिकों को सेना शिक्षा कोर से जारी शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षर के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ–1(1) डीओपी/ए–11/05 दिनांक 27.06.2011 के द्वारा प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती हेतु शिक्षा में स्नातक डिग्री या डिप्लोमा के साथ किसी विद्यालय में न्युनतम पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक रूप से निर्धारित किया गया है। निजी शिक्षण संस्थान एवं सरकारी सेवा का अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर होने पर ही मान्य है।

निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर का पत्रांक 6250–54 दिनांक 31.05.2019 (प्रति संलग्न) में वर्णितानुसार प्रधानाध्यापक (मा.वि.) भर्ती परीक्षा–2018 में भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जो कि सेना शिक्षा कोर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये है उन पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर करने में कठिनाई होती है, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक राज्य के किसी जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन नहीं आते है।

अतः उपर्युक्तानुसार भूतपूर्व सैनिक किसी विद्यालय में 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव की दृष्टि से पात्र होने की स्थिति में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय का अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जावे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर।

**प्रतिलिपि–** निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि आप प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा–2018 के भूतपूर्व सैनिक के विद्यालय के 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव का पात्र होने की पुष्टि उपरान्त ही अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

Scanned by CamScanner